INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

उ.प्र. उप निरीक्षक

UPSI/PLATOON COMMANDER /PAC

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड

भाग – 4

संविधान + मूल विधि + उ. प्र. GK

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**उ. प्र. पुलिस SI (उप निरीक्षक)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को* **उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड** *द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**उ. प्र. पुलिस SI (उप निरीक्षक)/ Platoon Commander/PAC**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/001xtz

Online Order करें - https://shorturl.at/sxD46

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	<u>भारतीय राजनीति विज्ञान</u>	
1.	संविधान निर्माण	1-10
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएं	11-15
3.	संविधान संशोधन	16-24
4.	उद्धेशिका (प्रस्तावना)	24-31
5.	मौलिक अधिकार	32-41
6.	नीति निदेशक तत्व	42-46
7.	मूल कर्तव्य	47-52
8.	राष्ट्रपति	52-73
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	73-78
10.	भारतीय संसद	79-92
11.	केंद्र – राज्य संबंध	93-96
12.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुन्नाविलोकन	96-112
13.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद	112-114
14.	राज्य विधानमण्डल व विधानसभा	115-120
15.	निर्वाचन आयोग	121-125
16.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	125-127
17.	नीति आयोग	127- 128
18.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	129-133

19.	संघ लोक सेवा आयोग	133-134
20.	लोकपाल	135-136
21.	केन्द्रीय सूचना आयोग	137-140
22.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	141-142
	मूल विधि	
1.	भारतीय दण्ड संहिता	142-164
2.	महिला एवं बाल विकास संरक्षण	164-192
3.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	192-202
4.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम	202-214
5.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	215-226
6.	आयकर अधिनियम	226-237
7.	यातयात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	237-247
8.	भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान	247-260
	उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान	261-289

अध्याय – I

संविधान निर्माण

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

(1). भू-भाग (2). जनसंख्या (3). सरकार (4). संप्रभुता

(1). भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

(2). जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

(3). सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।**

(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

शासन के अंग

(1). विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2). कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3). न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता है,** जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती है।** यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।
- **अमेरिका** जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं।** इसे **"शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत"** कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं।
- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की

तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है | इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें | **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें |

शासन प्रणालियों के विभिन्न

प्रकार -1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है | शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं |

प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है | दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

(1). केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-
(a). परिसंघात्मक प्रणाली
(b). संघात्मक प्रणाली
(c). एकात्मक प्रणाली

(2). विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-
(a). संसदीय प्रणाली
(b). अध्यक्षीय प्रणाली

भारत की प्रणाली :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी|

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए,किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है **कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था |**

- **परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य**
- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं |
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग है |
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली है |
- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं |
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है|**
- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है | संघात्मक से तात्पर्य है राज्यों का केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होना|
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों'** का **अविनाशी संगठन'** कहा जाता है |
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है |
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष / राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रूप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता |

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख

लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना :-
ब्रिटिश संवैधानिक योजना :-

- ब्रिटिश शासन प्रणाली **"संवैधानिक राजतंत्र"** पर आधारित है | 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी | इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है,जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं |
- ब्रिटेन का **लोकतंत्र संसदीय प्रणाली** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि **कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता** है | चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था इसलिए **संसदीय प्रणाली** को **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** भी कहा जाता है | ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है,जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है |
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा

- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई ।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चाओं का दायरा बढ़ाया ।
- **सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने ।**
- इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर **मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।**
- इस अधिनियम ने पृथक् निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लार्ड मिन्टों को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।

भारत शासन अधिनियम 1919

- इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया –

हस्तान्तरित और आरक्षित ।

- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की । प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य आम जनता द्वारा सीधे मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनने से है ।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है।
- इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।
- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया ।
- इस कानून की 'मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है ('मॉण्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराम थे।
- इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक् निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया।
- इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार प्रदान किया।
- इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।

साइमन आयोग :- 1927

- नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की।
- इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया।
- आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की।

साम्प्रदायिक अवार्ड :- (1932)

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की इसे कम्यूनल अवार्ड या साम्प्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिमों, सिक्ख, ईसाई, यूरोपियों आंग्ल भारतीयों के लिए अलग-अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गाँधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारम्भ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिन्दू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए।

भारत सरकार अधिनियम 1935

- **इसमें 321 धारा व 10 अनुसूचियां** थी।
- इसने **अखिल भारतीय संघ की स्थापना की**
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच **तीन सूचियों संघीय सूची** (59 विषय), **राज्य सूची** (54 विषय), और **समवर्ती सूची (** दोनों के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बटवारा किया
- संघ सूची – ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र कानून बना सकता है ।
- राज्य सूची –ऐसे विषय जिनपर केवल राज्य कानून बना सकते है ।
- समवर्ती सूची –ऐसे विषय जिनपर केन्द्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है ।
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया ।
- **इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई ।**
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ।
- यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन हो एक मील का पत्थर साबित हुआ।
- इस अधिनियम ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की।
- इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- **इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।**
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

अंतरिम सरकार		
जवाहर लाल नेहरू	-	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
सरदार वल्लभभाई पटेल	-	गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	-	खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई	-	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम	-	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	-	रक्षा
सी. एच. भाभा	-	कार्य, खान एवं उर्जा
लियाकत अली खां	-	वित्त
अब्दुर रब निश्तार	-	डाक एवं वायु
आसफ अली	-	रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी	-	शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर	-	वाणिज्य
गजनफर अली खान	-	स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल	-	विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	-	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलों
सरदार वल्लभभाई पटेल	-	गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	-	खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	-	शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	-	रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	-	वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	-	विधि
जगजीवन राम	-	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	-	रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	-	स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	-	वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	-	संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	-	उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	-	कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** | मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी | इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी |
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी | आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था |
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था | यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) |

- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था।
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था।

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी।

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे।

5. **निर्वाचन पद्धति :-** एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार पद्धति

कुल सदस्य

ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित)

- 292 प्रांतों से
- उच्च आयोगीय प्रांत (4 सीट)
  - दिल्ली
  - अजमेर मेरवाड़ा
  - कुर्ग
  - बलुचिस्तान

देशी रियासत (93 सीट) (मनोनीत सदस्य)

- जयपुर - 3 सदस्य
- जोधपुर - 2 सदस्य
- उदयपुर - 2 सदस्य
- बीकानेर - 1 सदस्य
- कोटा - 1 सदस्य
- अलवर - 1 सदस्य

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई। सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया।

संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था।

संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

Note :- संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी इनमें से एक था - स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू बनाना। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।

जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर तथा जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष - डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधन सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	- पं . जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	- पं जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	- सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारुप समिति	- डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यको एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति	- सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	- जवाहरलाल नेहरु
संचालन समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति

- अंबेडकर (अध्यक्ष)
- एन गोपालस्वामी आयंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम मुंशी
- सैय्यद मोहमद सादुल्ला
- एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)
- टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)
- प्रारुप समिति का गठन - 29 अगस्त 1947 नए संविधान का प्रारुप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

- डॉ. B. R. अम्बेडर ने 'द कॉन्सटिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारुप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, और इस अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए।
- संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा ।
- नए विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारुप को रखा।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर को 'संविधान के पिता 'के रूप में पहचाना जाता है, इस महान लेखक संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को "आधुनिक मनु की संज्ञा ' भी दी जाती है।
- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारुप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- **26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।**

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू = (163)
2. मुस्लिम = (80)
3. अनुसूचित जाति = (31)
4. भारतीय ईसाई = (6)
5. पिछड़ी जनजातियां = (6)
6. सिख = (4)
7. एंग्लो इंडियन = (3)
8. पारसी = (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास = (49)
बॉम्बे (मुंबई) = (21)
पश्चिम बंगाल = (19)
संयुक्त प्रांत = (55)
पूर्वी पंजाब = (12)
बिहार = (36)
मध्य प्रांत एवं बेरार = (17)
असम = (8)
उड़ीसा = (9)
दिल्ली = (1)

- **संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।**

अध्याय – 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित** प्रावधान है।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती हैं।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती हैं और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते है।

संविधान के भाग - 3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित ' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

- मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं,

ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं : संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न की व्यक्तियों की।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) **मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।**

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये है। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक है।

(5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते है और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नही कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढ़ाचे में परिवर्तन कर सके । (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

राज्य की परिभाषा :-

- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य ' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनु. 12 में भाग - 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है :-

(अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत सरकार।

(ब) राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य सरकार।

(स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।

(द) अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे - एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आदि।

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर

अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है

कूट -

a. केवल A सही है।

b. केवल B सही है।

c. (A) एवं (B) दोनों सत्य है।

d. (A) एवं (B) दोनों गलत है।

उत्तर – c

मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ :-

अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32) और उच्च न्यायलयों (अनु. 226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर - संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं ।

अनु. 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है :-

(अ) स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(ब) अस्थायी विधियाँ, जैसे - राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश ।

(स) प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे - अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना आदि।

मौलिक अधिकारों की आलोचना –

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।

(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर है।

(3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।

(4) **आपातकाल के समय इनका निलबन हो जाता है।**

Note- अनुच्छेद – 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ।

(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।

(6) **संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमे कमी कर सकती है।**

(7) मौलिक अधिकारों के संबंध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा हैं तथा प्रकिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	**अनु. 13**
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii)स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी (iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाए जो राज्य के लिए कार्य करती हो	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी । **विधि** (i) स्थाई विधि – संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित (ii) अस्थाई विधि – जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें । (iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

a. देश के किसी भाग में बसने का अधिकार

b. लिंग समानता का अधिकार

c. सूचना का अधिकार

d. शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर – c

(1) समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)

(i) विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान हैं । **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से** प्रभावित हैं । विधी के समक्ष समता से आशय हैं, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नही होगा। विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताए होती हैं –

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गेर सरकारी संगठन) विधी से ऊपर नही होगा ।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा।
विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नही चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा ।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता हैं तो उसे दोषी नही माना जायेगा ।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे - UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे ।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देन है ।

विधियों के सामान संरक्षण से आशय हैं । "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नही होता ।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओ के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं ।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नही किया जायेगा ।
- इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओ, तालाबो, स्नानघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नही जायेगा।
- इसमें यह भी प्रावधान हैं कि राज्य महिलाओ एवं बच्चो के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता हैं ।
- इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्य SC,ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता हैं।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता है।

लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता (अनु. - 16)

अनु. 16 में यह प्रावधान कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलो में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है –

(1) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों को विशेषाधिकर प्रदान किए गए हैं।

(2) किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।

(3) विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा कुछ राज्यों में महिलाओ के संबंध में विशेष प्रावधान है।

अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनु.-17)

संविधान के अनु. 17 में यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता_को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध होगा। इसके संबंध में दंड वह होगा जो संसद विधी द्वारा निर्धारित हो। संविधान में अस्पर्शता के संबंध में विशेष व्यवस्था नही की गई।

अतः संसद के द्वारा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम-1955 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिकार के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलापों को अपराध माना गया –

(a) सार्वजानिक पूजा स्थलों में प्रवेश से रोकना।

(b) किसी भी तरीके से अस्पृश्यता का बचाव करना।

(c) सार्वजनिक स्थल जैसे - दुकान, होटल, मनोरंजन के साधन आदि के उपभोग से रोकना।

(d) सार्वजनिक संस्थान जैसे – शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय आदि में प्रवेश से वंचित करना।

(e) अनुसूचित जाति का जातिसूचक शब्द के माध्यम से अपमान करना।

(f) किसी व्यक्ति को कोई सेवा अथवा वस्तु देने से इंकार करना ।

यदि ऐसी कोई विधि किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती हैं तो तब ही लागू होगी, जब राष्ट्रपति इसका अनुमोदन करे ।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारो के संबंध में प्रावधान

संसद को यह अधिकार हैं कि भाग 3 के द्वारा प्राप्त अधिकारी को निम्नलिखित के लिए सीमित कर सकती हैं –

(i) सशस्त्र बलों के सदस्यों

(ii) लोक व्यवस्था बनाये रखने वाले सदस्यों

(iii) सूचना संगठनों के सदस्यों

1. मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है, जब तक की कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो।

- अनु. 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, दूसरे शब्दों में मूल, अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल - अधिकार है, यहीं व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है।
- डॉ. अम्बेडकर ने अनु. 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया "एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। "

(अ) मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है।

(ब) उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा, उसके द्वारा जारी **रिट,** में शामिल है, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, उत्प्रेषण, एवं अधिकार प्रेच्छा।

(स) उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 359) के तहत इनको स्थगित कर सकता है।

(द) इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है, इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं, अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है।

- विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियाँ केवल आदेश या निदेश देने तक सीमित नहीं हैं, यह सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है।
- मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो हैं पर अनन्य नहीं । इसका जुड़ाव अनुच्छेद - 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से हैं।

उपर्युक्त के संबंध में इनको सहयोग देने वाले नाई, मोची, मैकेनिक, ड्राईवर, बावर्ची आदि पर भी प्रतिबन्ध लागु होंगे । यदि ये उपर्युक्त को सेवा प्रदान करते हैं ।

मार्शल लॉ अथवा सैनिक शासन के क्षेत्र में मौलिक अधिकार पर प्रतिबन्ध (अनु.34)

मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल :-

मार्शल लॉ (सैन्य कानून)	**राष्ट्रीय आपातकाल**
1. यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।	1. यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है, इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकायी शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है।
2. यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है।	2. यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है।
3. यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है।	3. यह सिर्फ तीन आधारों पर लागू हो सकता है - युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह।
4. इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्र में ही लागू किया जा सकता है।	4. यह सिर्फ तीन आधारों पर ही लागू किया जा सकता है।
5. इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। यह अव्यक्त है।	5. संविधान में विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट, एवं विस्तृत है।

(1) अधित्यजन का सिद्धांत – इससे आशय हैं कि जिन नागरिकों अथवा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं । वे मौलिक अधिकारों का त्याग नही कर सकते ।

उदा. अनु. 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता हैं । लेकिन इससे यह आशय नही हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का अधिकार रखता है ।

(2) पृथक्करणीयता का सिद्धांत - संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की सीमा तक ही शून्य होगी । अर्थात् उस विधि के केवल उन प्रावधानों को ही शून्य माना जायेगा । जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हो ।

(3) आच्छादन का सिद्धांत – यह सिद्धांत तय करता हैं कि संविधान के लागु होने से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो ऐसी विधि सक्रिय नही रहेगी । अर्थात् विधि शून्य नही होगी । लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो जायेगा ।
इस मामले की सम्पूर्ण विधि प्रभावहीन नही होगी । विधि का केवल वह भाग ही प्रभावहीन होगा । जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है ।

(4) भावी प्रवर्तन का सिद्धांत – इससे आशय हैं । व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा उस दिन या उसके बाद से प्राप्त होगी । जिस दिन से मौलिक अधिकार प्रभावी हुए ।

(5) न्यायिक पुनरवलोकन का सिद्धांत- केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया । इसमें व्यवस्था की गई कि **संसद के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई भी विधि जो मूल ढाचे का अतिक्रमण करती है । अथवा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय को उस विधि को शून्य घोषित करने का अधिकार हैं।**

रिट के प्रकार
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा

बंदी प्रत्यक्षीकरण
अर्थ (प्रस्तुत किया जाय)
यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश हैं, जिसे हिरासता में रखा गया है। उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाय । तब न्यायालय मामले की जांच करता है, यदि हिरासत में लिए गये व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है।

यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब
(i) हिरासत कानून सम्मत हैं।
(ii) कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो।
(iii) न्यायालय द्वारा हिरासत
(iv) हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो।

परमादेश
(अर्थ हम आदेश देते हैं।)
यह एक नियंत्रण है, जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियो (सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों या सरकार के खिलाफ) जारी किया जाता है ताकि उनसे कार्यों और नकारने के संबंध में पूछ जा सके ।

परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता -
(i) निजी व्यक्तियों था इकाई के विरुद्ध
(ii) गैर संवैधानिक विभाग
(iii) जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरुरी नहीं।
(iv) संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध
(V) राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध
(vi) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के विरुद्ध

प्रतिषेध
- प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्द्ध - न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किये जा सकते हैं।
- इसके तरह उच्चतम न्यायलय , किसी अधीनस्थ न्यायलय के किसी मामले या वाद को स्वयं के पास स्थानान्तरण का आदेश दे सकता है ।

उत्प्रेषण
अर्थ (प्रमाणित होना था सूचना देना)
इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी किया जाता है इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है; उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है।
पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था। प्रशासनिक इकाईयों के खिलाफ नही। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किए जा सकता है।

अधिकार पृच्छा
अर्थ (प्राधिकृत या वारेंट के द्वारा)
- इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार करने को रोकता है।
- इसे मंत्री के कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता।

अध्याय – 22

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **एक विधिक निकाय** है, **परंतु यह एक संविधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1993 में मानव सुरक्षा अधिकार कानून के तहत की गई थी।** मानवाधिकार की रक्षा करना इस आयोग का प्रमुख कार्य है। भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिये गये हैं उसकी रक्षा करना इसका प्रमुख कर्त्तव्य होता है।

आयोग का गठन

1. आयोग बहुसदस्यीय है **जिसमें एक अध्यक्ष एवं पाच सदस्य होते हैं।**
2. इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होनी चाहिए।
3. अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश इसके सदस्य हो सकते हैं।
4. दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकार कानून का व्यवहारिक ज्ञान हो। इसके सदस्य हो सकते हैं।
5. इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जातीय / जनजातीय आयोगों के अध्यक्ष इसके स्वतः सदस्य होते हैं।
6. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर होता है।
7. इस नियुक्ति कमेटी में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं
8. **अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों तक होता है। या वह अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है।**
   पुन : नियुक्ति के लिए पात्र हैं ।
9. अध्यक्ष एवं सदस्य यह पद धारण करने के बाद केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अन्य किसी पद को धारण नहीं कर सकते।

आयोग के प्रमुख कार्य

1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना खासतौर पर लोकसेवकों एवं पदाधिकारियों की तरफ से।
2. मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में न्याय दिलवाने के उद्देश्य से न्यायालय का सहारा लेना ।
3. समय-समय पर जेलों तथा अन्य स्थानों की छानबीन करना तथा मानवीय अधिकारों को लागू करवाना।
4. मानवाधिकार की रक्षा के लिए संशोधन की सलाह देना ।
5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता का मूल्यांकन करना ।
6. मानवाधिकारों से संबंधित शोध पत्रों को जारी करना तथा लागू करवाना।
7. मानवाधिकारों को आम जनता में लोकप्रिय बनाना तथा जन जागरूकता लाना।
8. वे सभी गैर सरकारी संस्थाएँ जो मानवाधिकार के लिए कार्य कर रही है, को प्रोत्साहित करना ।
9. उन सभी कदमों को उठाना जिसके तहत मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

आयोग की कार्य प्रणाली :-

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी एक कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है।
- आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है।
- आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाऐं ले सकता है।
- आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। दूसरे शब्दों में, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो ।

- आयोग जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है -

- यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
- यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
- यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल **अंतरिम** सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
- आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है।

आयोग की भूमिका :- उक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि आयोग का **कार्य** वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, न ही आयोग पीड़ित को किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे - आर्थिक सहायता दे सकता है।

- आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है। परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे, आयोग के 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है।
- आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को नकार नहीं सकती है।

- आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्टस को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है।

मूल विधि

अध्याय – 1
भारतीय दंड संहिता

आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है।

भारतीय दंड सहिंता को 01 जनवरी , 1862 को लागू किया गया था

हमने भारतीय दंड संहिता के महत्त्वपूर्ण धाराओं को विवरण प्रस्तुत किया है /

धारा 1 - संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है

विवरण - भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा /

धारा 2 - भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड।

विवरण - इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के अन्दर दोषी होगा इसी के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नही होगा /

धारा 3 - भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड।

विवरण – भारत के बाहर किये गए अपराध के लिए उससे संहिता के उपबन्धों के अनुसार उसे समाप्त किया जाएगा जैसे - अपराध भारत के अन्दर किया गया हो /

धारा 4 - राज्यक्षेत्रातीत / अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार।

विवरण – इस धारा में भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, पर किसी व्यक्ति द्वारा , किए गए अपराध पर लागू है /

धारा 5 - कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना।

धारा 6 - संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना।

विवरण – इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर

धारा 7 - एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय।

विवरण – इस सहिंता के अनुसार , हर वाक्यांश जिसकी स्पष्टीकरण इस संहिता में किया गया है/

धारा 8 – लिंग

विवरण - पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए है, वे हर व्यक्ति के बारे मे लागू है, चाहे वह नर हो या नारी ।

धारा 9 – वचन

विवरण – जब तक कि संदर्भ से पत्प्रतिकुल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है , और द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है /

धारा 10 - पुरुष। स्त्री।

विवरण – पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर द्योतक है , स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी द्योतक है /

धारा 11 - व्यक्ति

विवरण – कोई भी कंपनी या संगम, या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है/

धारा 12 - जनता / जन सामान्य

समाज का कोई भी वर्ग या समुदाय जनता / जन सामान्य शब्द के अंतर्गत आता है/

धारा 13 - क्वीन की परिभाषा

विवरण – विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरसित /

धारा 14 - सरकार का सेवक।

भारत के अन्दर उस रूप में बनाएँ गए , नियुक्त या नियोजन किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक है /

धारा 15 - ब्रिटिश इण्डिया की परिभाषा

धारा 16 - गवर्नमेंट आफ इण्डिया की परिभाषा

धारा 17 - सरकार।

धारा 18 - भारत

धारा 19 - न्यायाधीश।

धारा 20 - न्यायालय

धारा 21 - लोक सेवक

धारा 22 - चल सम्पत्ति।

धारा 23 - सदोष अभिलाभ / हानि।

धारा 24 - बेईमानी करना।

धारा 25 - कपटपूर्वक

धारा 26 - विश्वास करने का कारण।

धारा 27 - पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति।

धारा 28 - कूटकरण।

धारा 29 - दस्तावेज।

धारा 30 - मूल्यवान प्रतिभूति।

धारा 31 - बिल

धारा 32 - कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप शामिल है।

धारा 33 - कार्य

धारा 34 - सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य

विवरण – इस अधीन सामान्य आशय का अर्थ है – जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है /

सामान्य आशय में पूर्वनियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है जबकि समान आशय में पूर्व नियोजन योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है ।

धारा 35 - जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है

धारा 36 - अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम।

धारा 37 - कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना।

धारा 38 - आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे

धारा 39 - स्वेच्छया।

धारा 40 - अपराध।

धारा 41 - विशेष विधि।

धारा 42 - स्थानीय विधि

धारा 43 - अवैध

धारा 44 - क्षति

धारा 45 - जीवन

धारा 46 - मृत्यु

धारा 47 - जीवजन्तु

धारा 48 - जलयान

धारा 49 - वर्ष या मास

धारा 50 - धारा

धारा 51 - शपथ।

धारा 52 - सद्भावपूर्वक।

विवरण – इस अधीन के अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो /

धारा 53 - दण्ड।

- विवरण - धारा 53 से दंड के प्रकार बताए गए है, जो

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

निम्नलिखित है -

(1) मृत्युदंड,

(2) आजीवन कारावास

(3) कारावास, जो दो प्रकार का है अर्थात्

A. कठोर श्रम के साथ कारावास, तथा

B. सादा कारावास

(4) संपत्ति का समपहरण और

(5) जुर्माना ।

धारा 54 - मृत्यु दण्डादेश का रूपांतरण।

विवरण – इस भारतीय दंड संहिता के अनुसार, हर मामले में, जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो , उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दण्ड में रूपांतरित कर सकेगी /

धारा 55 - आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण

धारा 56 - यूरोपियों तथा अमरीकियों को दण्ड दासता की सजा।

धारा 57 - दण्डावधियों की भिन्नें

विवरण – इस धारा के अधीन दंड की अवधि गणना करने में, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा /

धारा 58 - निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं

धारा 59 - कारावास के बदले निर्वासनट

धारा 60 - दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।

धारा 61 - सम्पत्ति के समपहरण का दण्डादेश।

धारा 62 - मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दण्डनीय अपराधियों की बाबत सम्पत्ति का समपहरण ।

धारा 63 - आर्थिक दण्ड/जुर्माने की रकम।

विवरण – इस धारा के अनुसार जहाँ जुर्माने की राशि बतायी नही गई हैं , वहाँ जुर्माना कुछ भी हो सकता है , लेकिन यह इतना अधिक भी नहीं होगा /

धारा 64 - जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश

धारा 65 - जब कि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि

धारा 66 - जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए।

धारा 67 - आर्थिक दण्ड न चुकाने पर कारावास, जबकि अपराध केवल आर्थिक दण्ड से दण्डनीय हो।

- विवरण - धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, का उपबंध है । उपबंध इस प्रकार है - यदि जुर्माने की रकम 50 रु. तक हो, तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रु. हो, तो कारावास 4 माह तक तथा जुर्माना 100 रु. से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा ।

धारा 68 - आर्थिक दण्ड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना।

धारा 69 - जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान

धारा 70 - जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना। मृत्यु सम्पत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती।

धारा 71 - कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।

धारा 72 - कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है

धारा 73 - एकांत परिरोध

विवरण - जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक न होंगे,

निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा:-

यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक न हो तो एक मास से अनधिक समय ;

यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक हो, तो दो मास से अनधिक समय ;यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो तीन मास से अनधिक समय ।

धारा 74 - एकांत परिरोध की अवधि

धारा 75 - पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड

धारा 76 - विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

विवरण – तथ्य के भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है , लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं है /

धारा 77 - न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य

- ***विशेष नोट : - भारतीय दंड संहिता की धारा 359-374 व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम से सम्बन्धित है ।***

विवरण - यदि पुरुष किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है।

धारा 376 - बलात्कार के लिए दण्ड

विवरण - जो कोई उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष, से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 376 क – पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग्र

विवरण - पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड- जो कोई धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा(2) के अधीन दंडनीय अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुँचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

धारा 376 ख - लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग

धारा 376 ग - जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग

विवरण - जो कोई (क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैष्श्वासिक संबंध रखते हुए (ख) कोई लोक-सेवक होते हुए (ग) तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण- गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए (घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारीवृंद होते हुए।

धारा 376 घ - अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग

विवरण - जहाँ किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाता है कि उसने बलात्संग का अपराध किया है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा-376 (ड)- पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड

विवरण - जो कोई, धारा 376 या धारा 376 क या धारा घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चयत उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

धारा 377 - प्रकृति विरुद्ध अपराध

- *विवरण - भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित है ।*
- *6 सितम्बर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नवतेज सिंह जोहर एवं अन्य बनाम भारत संघवाद के साथ विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एकमत से आई.पी.सी. की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया ।*
- *निर्णय के अनुसार, आई.पी.सी. की धारा 377 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है तथा धारा 377 अतार्किक, असमर्थनीय और स्पष्ट रूप से मनमाना है ।*
- *न्यायालय के अनुसार, धारा 377 तक तहत जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि दंडनीय अपराध बनी रहेगी ।*
- *धातव्य है कि आई.पी.सी. की धारा 377 'अप्राकृतिक यौन अपराधों" से सम्बन्धित है, जो किसी महिला, पुरुष या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौनाचार करने वाले को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है ।*

धारा 378 – चोरी

विवरण - किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, कोई जंगम सम्पति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

धारा 379 - चोरी के लिए दंड

विवरण - जो कोई भी चोरी करेगा, वह दोनों मे से किसी

भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 380 - निवास-गृह आदि में चोरी

विवरण – यदि किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण, तम्बू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 381 - लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी।

विवरण - लिपिक या सेवक की हैसियत से नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 382 - चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी करना।

विवरण : - चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चयात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 383 - उद्दापन / जबरन वसूली

धारा 384 - ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए दण्ड।

धारा 385 - ज़बरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना।

धारा 386 - किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करना।

धारा 387 - ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना।

धारा 388 - मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन

धारा 389 - जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना।

धारा 390 - लूट।

विवरण – किसी भी प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

धारा 391 – डकैती

विवरण - जब कि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते है या करने या प्रयत्न करते या जहाँ कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते है, या करने का प्रयत्न करते है और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते है, कुल मिलाकर पाँच या अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह "डकैती" करता है।

धारा 392 - लूट के लिए दण्ड

विवरण - जो कोई भी लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्यादय के बीच की जाए तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा।

धारा 393 - लूट करने का प्रयत्न।

विवरण – जो कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 394 - लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुँचाना

विवरण - अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचार योग्य किया गया है।

धारा 395 - डकैती के लिए दण्ड

विवरण - जो कोई भी व्यक्ति डकैती करेगा, वह आजीवन कारावास , से या वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 396 - हत्या सहित डकैती।

विवरण - यदि ऐसे पाँच व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास , से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 397 – मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।

विवरण - यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा

उत्तर :- (c)

प्रश्न 14. रेल और लोक कार्यों के आस-पास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है -

(a). धारा-10 पुलिस अधिनियम में

(b). धारा-12 पुलिस अधिनियम में

(c). धारा-13 पुलिस अधिनियम में

(d). धारा-14 पुलिस अधिनियम

उत्तर :- (d)

प्रश्न 15. "डकैती" का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है ।

(a). चोरी (b). उद्यापन

©. छल (d). चोरी या उद्यापन

अध्याय – 2
महिला एवं बाल विकास सरंक्षण अधिनियम, 1961

भूमिका

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेना व देना या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है । दहेज के लिए लड़की को उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है जिसके अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।

यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित हो जाता है की मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित या दहेज के लिए उसके साथ मारपिट की जाती थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधान

दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को दहेज़ (निषेध) अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया जिसमें दहेज़ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-

दहेज से कोई ऐसी सम्पति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय-

- विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या
- विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा या
- अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को, प्रत्यक्ष:या अप्रत्यक्षत:दी गई है या दिये जाने का करार किया गया है ।

इस प्रकार दहेज़ से संबंधित तीन स्थितियां बतायी गई है -

1. विवाह से पूर्व
2. विवाह के अवसर पर
3. विवाह के बाद

दहेज़ लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है।

वधु के माता-पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज़ की मांग करने पर भी यही सजा दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम दस साल की कैद की सजा तय कर दी गयी है।

जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये या ली गयी, दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरुरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है (दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4)।

दंडनीय है-

- दहेज़ देना
- दहेज़ लेना
- दहेज़ लेने और देने के लिए उकसाना
- वधु के माता-पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज़ की मांग

(दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4)

दहेज़ के लेन और देन के सम्बन्ध में सारे समझौते बेकार हैं और इन्हें कोई भी विधि अदालत लागू नहीं कर सकती है। वधु के अलावा अगर किसी व्यक्ति को दहेज़ मिलता है तो उसे वधु के खाते में तीन महीने के अन्दर रसीद समेत जमा करना होगा। अगर वधु नाबालिग है तो उसके बालिग़ होने के तीन महीने के अन्दर संपत्ति को हस्तांतरित करना होगा। अगर वधु की इस प्रकार के हस्तांतरण से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को उक्त समान शर्तों के तहत दहेज़ को हस्तांतरित करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने की दशा में दहेज़ अधिनियम के तहत यह दंडनीय अपराध होगा और किसी भी सूरत में अदालत को नियत न्यूनतम सजा से कम दंड देने का अधिकार नहीं होगा।

दहेज़ के मुक़दमे पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ही है। दहेज़ के अपराध का संज्ञान या तो मजिस्ट्रेट खुद ले सकता है या वह पुलिस रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों जिनसे अपराध का पता चलता है, के आधार पर या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर या मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन के द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायत के आधार पर संज्ञान ले सकता है। आमतौर पर लड़कीवाले शिकायत दर्ज करने में हिचकते हैं, इसलिए कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा दर्ज शिकायतों को मान्यता मिलने से इस अधिनियम की संभावनाएं व्यापक हुई हैं।

मुख्य विधि में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए दहेज़ निषेध अधिनियम में संशोधन किये गये। महिला एवम बाल विकास मंत्रालय दहेज निषेध अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में और बदलाव करना चाह रही है ताकि दहेज़ निषेध कानूनों को और अधिक धारदार बनाया जा सके। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये थे। इन सिफारिशों पर एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में विचार-विमर्श किया गया और विधि एवम न्याय मंत्रालय के परामर्श से दहेज़ निषेध (संशोधन) विधेयक 2010 की रूपरेखा तैयार की गयी।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किये गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज़ सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए।

स्वैच्छिक तौर पर दिए गये "उपहारों" और दबाव या मजबूरी में आकर दिए गये तोहफों में साफ़ अंतर किया जाना चाहिए।

दंपत्ति के लिए शपथ पत्र के प्रपत्र में विवाह के सम्बन्ध में आदान-प्रदान किये गए उपहारों की सूची बनाई जाए और दहेज़ निषेध अधिकारी के द्वारा सूची को नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

उपरोक्त सम्बन्ध में गैर-अनुपालन वर, वधु और उनके माता-पिता के लिए दंडनीय अपराध होगा।

अधिनियम से जुडी प्रमुख धाराएँ

धारा 2

दहेज का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य वस्तु देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से:

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को; या

(ख) विवाह के किसी पक्षकार के

अविभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना। लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में महर दहेज में शामिल नहीं होगा।

धारा-3

दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पाँच वर्ष के कारावास साथ में कम से कम 15000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

उत्तर :- (b)

प्रश्न 13. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं वर्णित हैं -

(a). 70 (b).75

(c). 94 (d). 100

उत्तर :- (c).

प्रश्न 14. निम्न में से क्या साइबर अपराध का विषय है|

(a). सूचनाओं की चोरी

(b). सूचनाओं को नष्ट करना

(c). किसी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना

(d). उपर्युक्त सभी

उत्तर :- (d)

प्रश्न 15. आई.टी. एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए दंड है -

(a). 3 वर्ष तक का कारावास

(b). दो लाख तक का जुर्माना

(c). तीन वर्ष का कारावास एवं पाँच लाख रु. का जुर्माना

(d). उपरोक्त सभी सही है

उत्तर :- (c)

अध्याय - 6

आयकर अधिनियम

आयकर का अर्थ -

आयकर एक व्यक्ति या इकाई की आय पर लगाया जाने वाला कर है / यह भारत के राजस्व के प्राथमिक स्त्रोत में से एक आय है / आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं /

आयकर का प्रशासनिक ढाँचा -

भारत सरकार के राजस्व कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित होते हैं वित्त मंत्रालय ने आयकर, सम्पति कर आदि जैसे प्रत्यक्ष करों के प्रशासन का कार्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंपा है / सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक अंग है।

सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों की नीति तैयार करने और आयोजना बनाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है और आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून को प्रशासित भी करता है। इस प्रकार, सीबीडीटी के नियंत्रण व देखरेख में आयकर कानून, आयकर विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

आयकर अधिनियम की प्रमुख धाराएँ -

धारा - 1

आयकर अधिनियम, 1961

आयकर अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से लागू है /

या अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है /

अधिनियम में कुल 23 अध्याय, 298 धाराएँ तथा 14 अनुसूचियां हैं /

धारा - 2

धारा - 2 के अधिनियम में महत्त्वपूर्ण पदों की परिभाषा दी गई है /

(1) "अग्रिम कर" का अर्थ अध्याय 17 -C के प्रावधानों के अनुसार देय अग्रिम कर है;

(1 क) 1 "कृषि आय

(ए) भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जो भूमि से प्राप्त किसी भी किराए या राजस्व

(ख) ऐसी भूमि से प्राप्त आय

कृषि

- किसी कृषक द्वारा किसी कृषक द्वारा नियोजित किसी भी प्रक्रिया के रेंट-इन-रेंट के रिसीवर या रेंट-इन-राईस के

रिसीवर द्वारा प्रस्तुत की गई उपज को प्रस्तुत करने के लिए या उसके द्वारा बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त ।

- उसके द्वारा उपार्जित या प्राप्त की गई उपज के किराए के प्रकार के एक कृषक या रिसीवर द्वारा बिक्री, जिसके संबंध में इस उप के पैरा में वर्णित प्रकृति की एक प्रक्रिया के अलावा कोई प्रक्रिया नहीं की गई है।
- धारा - 2 (7)
- "निर्धारिती" - निर्धारिती से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा कोई कर या अन्य धनराशि संदेय है ।
- धारा – 2 (9)
- निर्धारण वर्ष - 12 माह की वह अवधि है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है ।
- धारा – 2 (10)
- आयकर की औसत दर" का अर्थ है कि कुल आय पर गणना की गई आय-कर की राशि को विभाजित करके पहुंची हुई दर, ऐसी कुल आय द्वारा निकाली जाती है ।
- धारा 2 (24)
- आयकर अधिनियम के इस धारा में आय की परिभाषा दी गयी है ।
- आय में लाभ और अभिलाभ, लाभांश तथा पुर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णत या भगत सृजित किसी न्यास द्वारा आय, करधेय कोई परिलब्धि या वेतन के बदले में लाभ का मूल्य, कोई भत्ता या फायदा या कोई ऐसी राशि जो धारा 41, 59, 28 के खंड (ii) (iii), (iii क), (iii ख) (iiiग), (iv) या (v) के अधीन कर से प्रभार्य हैं, लॉटरी से या किसी अन्य प्रकार के जुए या दांव से जीती हुई, भविष्य निधि या अन्य किसी निधि में अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई राशि, बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई धन राशि इत्यादि ।

धारा – 4 आयकर का प्रभार –

1. जहाँ कोई भी केन्द्रीय अधिनियम अधिनियमित करता है कि किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी भी दर या दरों पर, उस दर या आय कर लगाया जाएगा उस वर्ष के हिसाब से दरों का भुगतान किया जाएगा और प्रावधानों के अधीन होगा ।
2. उपधारा – (1) के अनुसार आय प्रभार्य के संबंध में स्त्रोत पर आय कर काटा जाएगा / या अग्रिम में भुगतान किया जाएगा , जहाँ यह किसी भी प्रावधान के तहत देने योग्य दे होगा ।

धारा – 5 कुल आय की परिधि

भारत के निवासी या अनिवासी है किसी पूर्व वर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय हो ।

धारा – 6 भारत का निवासी

कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाएगा , जब वह उस वर्ष से कुल मिलाकर 182 दिन या अधिक दिनों तक भारत में रहा हो या उस वर्ष के पूर्व के चार वर्षों में 365 या अधिक दिनों रुक् रहते हुए उस वर्ष 60 या अधिक दिनों की समय तक भारत में रहा हो ।

धारा – 10 कृषि आय

किसी व्यक्ति की पूर्वर्ती वर्ष की कुल आय संगणित करने में शामिल नहीं होती है ।

धारा – 11 पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति में आय ।

संपत्ति से आय किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

पूर्त प्रयोजनों हेतु संचित आय जो उस सम्पति की कुल आय के 15 प्रतिशत से अधिक न हो ।

धारा – 12

अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय को कुल से विरत करने से संबंधित है ।

धारा – 12 (क क)

किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन आयुक्त के समक्ष किए जाते है ।

धारा – 13

इस अधिनियम में राजनैतिक दल की आय को शामिल किया जाता है । या जिनमें धारा 11 लागू नहीं होता है ।

धारा – 14 आय के स्त्रोत

1. वेतन
2. गृह संपत्ति
3. कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ
4. पूँजी अभिलाभ
5. अन्य स्त्रोत से आय

धारा – 15

इस अधिनियम के अधीन आयकर से प्रभार्य वेतन शीर्ष आय को शामिल किया गया है –

1. वेतन चाहे संदत्त हो या नहीं ।
2. देय न होते हुए भी या उसे देय होने से पूर्व संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन ।
3. संदत्त या अनुज्ञात वेतन बकाया यदि किसी पूर्व वर्ष में आयकर से प्रभारित न हुए हो ।

धारा – 16

वित्त अधिनियम, 2018 से धारा 16 के खंड (i) के बाद खंड (ia) सम्मिलित किया जाएगा, 1-1-2019 से

(ia) चालीस हजार रुपये की कटौती या वेतन की राशि, जो भी कम हो

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्तूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
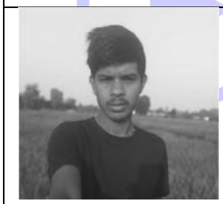	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
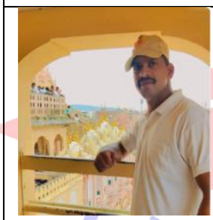	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others……

FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/001xtz

Online order करें – https://shorturl.at/sxD46

Call करें - 9887809083